"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 अप्रैल 2011—वैशाख 9, शक 1933

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, भान साहू पिता श्री पुनारद राम साहू, निवासी-एल. आई. जी. 64, दीनदयाल उपाध्याय कालोनी, श्यामतराई जिला धमतरी (छ. ग.) की हूं. यह कि मैं अपने नाम को परिवर्तित कर भावना साहू रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे भावना साहू पिता श्री पुनारद राम साहू के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाये.

पुराना नाम

भान साहू
पिता-श्री पुनारद राम साहू
निवासी-एल. आई. जी. 64,
दीनदयाल उपाध्याय कालोनी,
श्यामतराई जिला-धमतरी (छ. ग.)

नया नाम

भावना साहू
पिता-श्री पुनारद राम साहू
निवासी-एल. आई. जी. 64,
दीनदयाल उपाध्याय कालोनी,
श्यामतराई जिला-धमतरी (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती काजल आठे पति श्री मोपेन्द्र कुमार आठे, उम्र 26 वर्ष, निवासी-ग्राम-बटरेल, तहसील पाटन जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. विवाह पूर्व मैं कुमारी कामिनी साहू पिता श्री गैंदेश्वर लाल साहू, निवासी बी/19, पंचवटी कालोनी, धमतरी के नाम से जानी जाती थी. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर श्रीमती काजल आठे रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती काजल आठे पति श्री मोपेन्द्र कुमार आठे के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाये.

पुराना नाम
कु. कामिनी साहू
पिता-श्री गैदेश्वर लाल साहू
निवासी-बी/19, पंचवटी कालोनी, धमतरी
जिला-धमतरी (छ. ग.)

नया नाम
श्रीमती काजल आठे
पति-श्री मोपेन्द्र कुमार आठे
निवासी-ग्राम-बटरेल, तहसील पाटन
जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कोमपल्ली कृष्णवेनी आत्मजा डॉ. कोमपल्ली सत्यनारायण रेड्डी, उम्र 34 वर्ष, निवासी बूढ़ापारा रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) की हूं. मेरा विवाह दिनांक 2-2-1998 को डॉ. सुनील व्यास से होने के फलस्वरूप मेरा उपनाम व्यास परिवर्तित हो गया है तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे कृष्णवेनी व्यास पति डॉ. सुनील व्यास के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाये.

पुराना नाम

कोमपल्ली कृष्णवेनी
आत्मजा- डॉ. कोमपल्ली सत्यनारायण रेड्डी
निवासी-बूढ़ापारा रायपुर
तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

डॉ. कृष्णवेनी व्यास
पति-डॉ. सुनील व्यास
निवासी- रायपुर डेन्टल हास्पिटल
10/489, बूढ़ापारा, रायपुर
तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मेघनाथ वर्मा आत्मज स्व. होलसाय वर्मा, उम्र 48 वर्ष, निवासी-क्वार्टर नं. 21/एफ, सड़क नं. 4, सेक्टर-2 भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं भिलाई इस्पात संयंत्र में सीनियर आपरेटिव के पद पर पदस्थ हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम मेघनाथ आत्मज होलसाय तथा मेरे मतदाता परिचय पत्र, बैंक का ए. टी. एम. कार्ड, पास बुक तथा पेन कार्ड में मेरा नाम मेघनाथ वर्मा आत्मज होलसाय वर्मा दर्ज है. यह कि मैं अपना सही नाम मेघनाथ वर्मा आत्मज स्व. होलसाय वर्मा को समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रमाण पत्रों में दर्ज करवाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे मेघनाथ वर्मा आत्मज स्व. होलसाय वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम

मेघनाथ
आत्मज-होलसाय
निवासी-क्वा. नं. 2/एफ,
सड़क नं. 4, सेक्टर -2, भिलाईनगर
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

मेघनाथ वर्मा
आत्मज-स्व. होलसाय वर्मा
निवासी-क्वा. नं. 2/एफ,
सड़क नं. 4, सेक्टर -2, भिलाईनगर
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अंबिकापुर, सरगुजा छत्तीसगढ़

अंबिकापुर, दिनांक 29 मार्च 2011

क्रमांक/परिसमापन/2011/200.— आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्यादित उलिया पंजीयन क्रमांक 2075, विकासखण्ड राजपुर को छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के तहत् श्री विजय कुमार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, राजपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया एवं तत्संबंधी अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं है.

अत: मैं, बंसत कुमार, प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अम्बिकापुर, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग **की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ**-7-5/सह./2436/पुनर्गठन/अधि./2000, रायपुर, दिनांक 13 जून 2001 द्वारा पठित छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम, **1960 क्रमांक (7) की धारा** 18 (1) के तहत् आदिवासी मछुआ सहकारी समिति, उलिया, पंजीयन क्रमांक 2075 का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29-3-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बंसत कुमार,
प्रभारी उप पंजीयक.

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 8 मार्च 2011

छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2011/363.— इस कार्यालय का आदेश क्र./परिसमापन/2005/330 बिलासपुर, दिनांक 15-05-2005 के तहत् बिलासा रेत मुरूम गिट्टी सहकारी समिति मर्यादित, जतियापार, बिलासपुर पं. क्र. 3734 दिनांक 25-05-1996, विकासखण्ड-बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्रीमती नमिता विश्वास, सहकारी निरीक्षक, बिलासपुर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 08-03-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 8 मार्च 2011

छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2011/364.— इस कार्यालय का आदेश क्र./परिसमापन/2008/957 बिलासपुर, दिनांक 08-05-2008 के तहत् जय भारत प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, इंदिरा नगर, बिलासपुर पं. क्र. 3370 दिनांक 28-01-1991, विकासखण्ड-बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्रीमती शोभा बन्दे, सहकारी निरीक्षक, बिलासपुर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 08-03-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 8 मार्च 2011

छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2011/365.— इस कार्यालय का आदेश क्र./परिसमापन/2008/776 बिलासपुर, दिनांक 05-04-2008 के तहत् कर्मचारी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, कलेक्टोरेट परिसर, बिलासपुर पं. क्र. 3894 दिनांक 28-05-1998, विकासखण्ड-बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्रीमती शोभा बन्दे, सहकारी निरीक्षक, बिलासपुर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 08-03-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 8 मार्च 2011

छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2011/366.— इस कार्यालय का आदेश क्र./परिसमापन/2007/1912 बिलासपुर, दिनांक 29-09-2007 के तहत् जागृति प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, शंकरनगर, बिलासपुर, पं. क्र. 3932 दिनांक 10-03-1999, विकासखण्ड-बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्रीमती नमिता विश्वास, सहकारी निरीक्षक, बिलासपुर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 08-03-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 8 मार्च 2011

छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2011/367.— इस कार्यालय का आदेश क्र./परिसमापन/2008/627 बिलासपुर दिनांक 14-05-2008 के तहत् दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पैजनिया, पं. क्र. 3751 दिनांक 18-04-1996, विकासखण्ड-लोरमी, जिला-बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री एन. के. कश्यप, सहकारिता विस्तार अधिकारी, लोरमी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 08-03-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 8 मार्च 2011

छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2011/368.— इस कार्यालय का आदेश क्र./परिसमापन/2007/815 बिलासपुर, दिनांक 04-07-2007 के तहत् डॉ. भीमराव अंबेडकर रेत गिट्टी मुरूम सहकारी संस्था मर्यादित, दयालबंद, बिलासपुर, पं. क्र. 3625 दिनांक 29-09-1995, विकासखण्ड-बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्रीमती नमिता विश्वास, सहकारी निरीक्षक, बिलासपुर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 08-03-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 8 मार्च 2011

छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2011/370.— इस कार्यालय का आदेश क्र./परिसमापन/2007/1912 बिलासपुर, दिनांक 29-09-2007 के तहत् जय हनुमान सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, तारबहार, बिलासपुर, पं. क्र. 3944 दिनांक 01-11-1999, विकासखण्ड-बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्रीमती नमिता विश्वास, सहकारी निरीक्षक, बिलासपुर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 08-03-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 8 मार्च 2011

छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2011/371.— इस कार्यालय का आदेश क्र./परिसमापन/2007/1912 बिलासपुर, दिनांक 29-09-2007 के तहत् जय मां काली प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, इंदिरानगर, बिलासपुर, पं. क्र. 3600 दिनांक 17-02-1995, विकासखण्ड-बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्रीमती नमिता विश्वास, सहकारी निरीक्षक, बिलासपुर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 08-03-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 8 मार्च 2011

छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2011/374.— इस कार्यालय का आदेश क्र./परिसमापन/2008/627 बिलासपुर, दिनांक 14-03-2008 के तहत् आदर्श गिट्टी खदान सहकारी समिति मर्यादित, बुधवारा, पं. क्र. 3350 दिनांक 14-12-1988, विकासखण्ड-लोरमी, जिला-बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री एन. के. कश्यप, सहकारिता विस्तार अधिकारी, लोरमी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 08-03-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 8 मार्च 2011

छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2011/375.— इस कार्यालय का आदेश क्र./परिसमापन/2008/627 बिलासपुर, दिनांक 14-03-2008 के तहत् दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, कुदूरताल, पं. क्र. 3362 दिनांक 21-01-1990, विकासखण्ड-लोरमी, जिला-बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री एन. के. कश्यप, सहकारिता विस्तार अधिकारी, लोरमी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 08-03-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 8 मार्च 2011

छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2011/383.— इस कार्यालय का आदेश क्र./परिसमापन/2007/1912 बिलासपुर, दिनांक 29-09-2007 के तहत् आगर खदान सहकारी समिति मर्यादित, मुंगेली, बिलासपुर, पं. क्र. 107 दिनांक 04-04-2001, विकासखण्ड-मुंगेली, जिला-बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री आई. एस. तंवर, सहकारिता विस्तार अधिकारी, मुंगेली, बिलासपुर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 08-03-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

एन. कुजूर,
सहायक पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.)

कोरबा, दिनांक 18 फरवरी 2011

क्रमांक/उपंको/परि./11/108.—विविध उद्दे. सहकारी समिति मर्या., रामपुर, वि. ख. कोरबा पंजी. क्र. 2680 दिनांक 10-1-1963 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./2008/1750 दिनांक 24-6-95 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख. कोरबा को परिसमापक नियुक्त किया था.

परिसमापक द्वारा विविध उद्दे. सहकारी समिति मर्या., रामपुर की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है अत: मैं, दिलीप जायसवाल, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कोरबा, जिला कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का जो मुझे वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए विविध उद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, रामपुर, विकासखंड कोरबा, पंजीयन क्रमांक 2680 दिनांक 10-1-1963 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) को समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-02-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 18 फरवरी 2011

क्रमांक/उपंको/परि./11/109.—फूलसरी सामू. कृषि सहकारी समिति मर्या., बासीन, वि. ख. कोरबा पंजी. क्र. 2979 दिनांक 17-12-1970 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./2008/1750 दिनांक 24-6-95 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख. कोरबा को परिसमापक नियुक्त किया था.

परिसमापक द्वारा फूलसरी सामू. कृषि सहकारी समिति मर्या., बासीन की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है अत: मैं, दिलीप जायसवाल, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कोरबा, जिला कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का जो मुझे वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए फूलसरी सामू. कृषि सहकारी समिति मर्यादित, बासीन, विकासखंड कोरबा, पंजीयन क्रमांक 2979 दिनांक 17-12-1970 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) को समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-02-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 18 फरवरी 2011

क्रमांक/उपंको/परि./11/110.—प्रगति महिला उप. सहकारी समिति मर्या., बाल्को, वि. ख. कोरबा पंजी. क्र. 3520 दिनांक 1-7-94 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./2008/1750 दिनांक 24-6-95 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख. कोरबा को परिसमापक नियुक्त किया था.

परिसमापक द्वारा प्रगति महिला उप. सहकारी समिति मर्या., बाल्को की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है अत: मैं, दिलीप जायसवाल, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कोरबा, जिला कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का जो मुझे वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए प्रगति महिला उप. सहकारी समिति मर्यादित, बाल्को, विकासखंड कोरबा, पंजीयन क्रमांक 3520 दिनांक 1-7-94 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) को समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-02-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 18 फरवरी 2011

क्रमांक/उपंको/परि./11/111.—बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., कुदूरमाल, वि. ख. कोरबा पंजी. क्र. 2028 दिनांक 8-7-59 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./2008/1750 दिनांक 24-6-95 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख. कोरबा को परिसमापक नियुक्त किया था.

परिसमापक द्वारा बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., कुदूरमाल की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है अत: मैं, दिलीप जायसवाल, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कोरबा, जिला कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का जो मुझे वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, कुदूरमाल, विकासखंड कोरबा, पंजीयन क्रमांक 2028 दिनांक 8-7-59 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) को समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-02-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 18 फरवरी 2011

क्रमांक/उपंको/परि./11/112.—सर्वोदय चावल दाल उद्योग सहकारी समिति मर्या., चचियां, वि. ख. कोरबा पंजी. क्र. 2817 दिनांक 19-1-68 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./2008/1750 दिनांक 24-6-94 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख. कोरबा को परिसमापक नियुक्त किया था.

परिसमापक द्वारा उक्त सहकारी समिति मर्या., चचिया की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है अत: मैं, दिलीप जायसवाल, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कोरबा, जिला कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का जो मुझे वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए सर्वोदय चावल दाल उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, चचिया, विकासखंड कोरबा, पंजीयन क्रमांक 2817 दिनांक 19-1-68 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) को समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-02-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 18 फरवरी 2011

क्रमांक/उपंको/परि./11/113.—कोरबा प्राथ. सहकारी समिति मर्या., कोरबा, वि. ख. कोरबा पंजी. क्रं. 3483 दिनांक 4-6-92 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./2008/602 दिनांक 17-9-10 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख. कोरबा को परिसमापक नियुक्त किया था.

परिसमापक द्वारा कोरबा प्राथ. सहकारी समिति मर्या., कोरबा की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है अत: मैं, दिलीप जायसवाल, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कोरबा, जिला कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का जो मुझे वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए कोरबा प्राथ. सहकारी समिति मर्यादित, कोरबा, विकासखंड कोरबा, पंजीयन क्रमांक 3483 दिनांक 4-6-92 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) को समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-02-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 18 फरवरी 2011

क्रमांक/उपंको/परि./11/114.—प्रज्ञा महिला प्राथ. उप. सहकारी समिति मर्या., बाल्को, वि. ख. कोरबा पंजी. क्र. 3705 दिनांक 16-06-2003 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./2008/1750 दिनांक 24-6-95 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख. कोरबा को परिसमापक नियुक्त किया था.

परिसमापक द्वारा प्रज्ञा महिला प्राथ. उप. सहकारी समिति मर्या., बाल्को की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है अत: मैं, दिलीप जायसवाल, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कोरबा, जिला कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का जो मुझे वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए प्रज्ञा महिला प्राथ. उप. सहकारी समिति मर्यादित, बाल्को, विकासखंड कोरबा, पंजीयन क्रमांक 3705 दिनांक 24-6-95 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) को समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-02-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 18 फरवरी 2011

क्रमांक/उपंको/परि./11/106.—डेयरी मुर्गीपालन सहकारी समिति मर्या., कोरबा, वि. ख. कोरबा पंजी. क्र. 2818 दिनांक 25-3-65 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./2008/1750 दिनांक 24-6-95 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख. कोरबा को परिसमापक नियुक्त किया था.

परिसमापक द्वारा डेयरी मुर्गीपालन सहकारी समिति मर्या., कोरबा की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है अत: मैं, दिलीप जायसवाल, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कोरबा, जिला कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का जो मुझे वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए डेयरी मुर्गीपालन सहकारी समिति मर्यादित, कोरबा, विकासखंड कोरबा, पंजीयन क्रमांक 3818 दिनांक 25-3-65 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) को समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-02-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 18 फरवरी 2011

क्रमांक/उपंको/परि./11/107.—भारत उद्योग सहकारी समिति मर्या., कोरबा, वि. ख. कोरबा पंजी. क्र. 3079 दिनांक 28-7-1977 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./2008/1750 दिनांक 24-6-95 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख. कोरबा को परिसमापक नियुक्त किया था.

परिसमापक द्वारा भारत उद्योग सहकारी समिति मर्या., कोरबा की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है अत: मैं, दिलीप जायसवाल, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कोरबा, जिला कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का जो मुझे वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए भारत उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, कोरबा, विकासखंड कोरबा, पंजीयन क्रमांक 3079 दिनांक 28-7-77 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) को समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-02-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

दिलीप जायसवाल,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2011.